FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम–26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

मिसल नम्बर :– 67 /2024

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवानी

रणधीर सिंह **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.05.2024	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री प्रवीण जेवरिया ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। अतः दर्ज रजिस्टर हो। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर एडमिट स्तर पर ही अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि राजस्व ग्राम गणेशपुरा की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के हाल खाता संख्या 101 में दर्ज नाम गिन्दोड़ी पुत्री चेतराम के स्थान पर सन्तरा देवी पत्नी रामकुमार दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध राशन कार्ड के अनुसार संतरा पत्नी रामकुमार के 3 विधिक वारिस दर्ज है। हस्तगत प्रार्थना पत्र मृतका सन्तरा के वारिसान की ओर से पेश न करके किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पेश किया गया है। अन्य व्यक्ति को इस तरह के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। हस्तगत प्रकरण के जरिये वांछित अनुतोष जमाबन्दी में दर्ज नाम के बिलकुल विपरित है। प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पोषणीय नहीं होने से एडमिट स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.05.22 14:17:25 IST
Reason: SelfAttested